

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 3413 /11-सी-FP/UP/Trans/21539/2016, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 26, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
लखनऊ मण्डल  
लखनऊ।

विषय:-

साउथ ईस्ट यूपी पॉवर ट्रांसमिशन लि० द्वारा 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे० संरक्षित एवं 1.1391 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 113 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.7069 हे० संरक्षित एवं 6.2790 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4058 वृक्षों के पातन अर्थात् 3.3788 हे० संरक्षित एवं 7.4181 हे० आरक्षित वनभूमि कुल 10.7969 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4417 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक-4859 / 14-10-4, दिनांक 24.04.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा कन्नौज, कानपुरनगर एवं उन्नाव वन प्रभाग का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

कन्नौज वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है।
4. पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।
5. प्रस्तावित वनभूमि के एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि के भुगतान की तत्कालता संलग्न नहीं है।
6. इको क्लास की गणना संलग्न है, किन्तु गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न किया गया वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मूल में नहीं है। अतः जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मूल में संलग्न करें।
8. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिह्नित नहीं है।
9. प्रस्ताव में पेज सं० गलत अंकित है। अतः क्रमवार पेज सं० अंकित कर संशोधित विषय सूची प्रस्ताव में संलग्न करें।
10. हार्डकापी भाग-2 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित हार्डकापी भाग-2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
11. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
12. प्रस्ताव में CA के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र एवं पृष्ठ सं०-43 पर संलग्न प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित करें।
13. लीज रेंट प्रमाण पत्र में 30 वर्ष का उल्लेख है, जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 में 35 वर्ष अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही लीज वर्ष अंकित करें।
14. तीन वैकल्पिक रूट्स की टोपोशीट संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेण्ड गलत अंकित है तथा प्रस्तावित रूट्स का तुलनात्मक जस्टिफिकेशन तथा तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map, kml file भी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
15. CA समेकित रूप से सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित है तथा इसे उन्नाव वन प्रभाग द्वारा भरा जाना है। अतः ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में अपलोड किये गये CA से सम्बन्धित अभिलेखों को डिलिट करें।

16. ऑनलाइन भाग-2 के Additional Inforantion Detail में अपलोड स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
17. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति अपलोड नहीं है।
18. प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में पी0डी0एफ0 फाइल अलग-अलग है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल तथा प्रस्तावित की kml फाइल एवं तीन वैकल्पिक रूट्स की kml फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।

**कानपुरनगर वन प्रभाग:-**

1. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
3. लीज रेंट प्रमाण पत्र में 30 वर्ष का उल्लेख है, जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 में 35 वर्ष अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही लीज वर्ष अंकित करें।
4. प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है।
6. पारिषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।
7. पारिषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्रावकलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
8. प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
9. इको क्लास की गणना संलग्न है, किन्तु गणना में दर गलत ली गयी है। अतः सही दर के अनुसार गणना कर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में पूर्व का डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
10. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-2 में प्रस्तावित वनभूमि का Legal Status अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः सही Legal Status फीड करें।
11. ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 के District Profile में फीड किया गया विवरण भिन्न-भिन्न है। अतः एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 के District Profile में फीड करें।
12. तीन वैकल्पिक रूट्स की टोपोशीट संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेण्ड गलत अंकित है तथा प्रस्तावित रूट्स का तुलनात्मक जस्टिफिकेशन तथा तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map, kml file भी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
13. प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में पी0डी0एफ0 फाइल अलग-अलग है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल तथा प्रस्तावित की kml फाइल एवं तीन वैकल्पिक रूट्स की kml फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।

**उन्नाव वन प्रभाग:-**

1. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में याचक विभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी का संलग्न किये गये संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, कि परियोजना में दर्शित वन भूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। अतः संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
4. लीज रेंट प्रमाण पत्र में 30 वर्ष का उल्लेख है, जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 में 35 वर्ष अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही लीज वर्ष अंकित करें।
5. प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

6. पारिषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।
7. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक-1428/11-सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के SoI Toposheet पर शीर्षक व लीजेण्ड गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक व लीजेण्ड अंकित कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
9. प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बड़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
10. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चिन्हित व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं है।
11. प्रस्ताव में 10 किमी0 परिधि में कोई सेन्सुरी/वन्य जीव विहार न होने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
12. ऑनलाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में परियोजना की लागत भिन्न-भिन्न है। अतः एक समान परियोजना की लागत अंकित करें।
13. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-3 में विवरण फीड नहीं किया गया है।
14. ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 एवं एन0पी0वी0 की गणना में हरियाली घनत्व गलत है। अतः एक समान सही हरियाली घनत्व ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 एवं एन0पी0वी0 की गणना में अंकित करें।
15. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) में CA वनभूमि की वैधानिक स्थिति गलत अंकित है।
16. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-84 पर संलग्न Area Calculation एवं पृष्ठ सं0-90 से 92 पर संलग्न अभिलेख त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
17. मैनपुरी वन प्रभाग से सम्बन्धित तीन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।
18. तीन वैकल्पिक रूट्स की टोपोशीट संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेण्ड गलत अंकित है तथा प्रस्तावित रूट्स का तुलनात्मक जस्टीफिकेशन तथा तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map. kml file भी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
19. प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में पी0डी0एफ0 फाइल अलग-अलग हैं, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल तथा प्रस्तावित एवं CA की kml फाइल व तीन वैकल्पिक रूट्स की kml फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03-03 प्रतियों प्राप्ता कराकर, इगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03-03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- 3413 /11-सी-FP/UP/Trans/21539/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज एवं मैनपुरी।
4. महाप्रबन्धक (पारिषण), साउथ ईस्ट, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, लेवाना साइबर हाइट्स बिल्डिंग, पहली मंजिल, ऑफिस स्पेस-116, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

मुख्य वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा

पत्रांक 4579/14-1 आगरा, दिनांक 28/04/2023

मुख्य वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Acy-538

वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा